उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–10

उपस्थित– माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।

निर्देश याचिका संख्या–1909/2020

मंजीत सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम–लोहिया खुर्द, पोस्ट–बुसरेहर, जनपद–इटावा।

याची।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह) विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक (पी0ए0सी0), आगरा अनुभाग, आगरा।
3. सेनानायक, 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0, आगरा।

प्रतिपक्षीगण।

याची के विद्वान् अधिवक्ता–श्री जनार्दन पाण्डेय।
प्रतिपक्षीगण की ओर से–विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय
(द्वारा माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।

यह निर्देश याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रतिपक्षी संख्या–3 द्वारा पारित आदेश दिनांक–30.12.2019 (संलग्नक–1) एवं प्रतिपक्षी संख्या–2 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक–13.05.2020 (संलग्नक–2) को अपास्त करने तथा उसे समस्त पारिणामिक सेवा लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से योजित की गई है। साथ ही साथ यह भी याचना की गयी है कि प्रतिपक्षीगण को निर्देशित किया जाय कि यदि उनके द्वारा वसूली आदेश के परिप्रेक्ष्य में याची के वेतन से कोई धनराशि काट ली गयी हो तो प्रतिपक्षीगण 18 प्रतिशत ब्याज के साथ उसका भी याची को भुगतान करें।

2. संक्षेप में याचिकाकर्ता के अनुसार उसकी नियुक्ति आरक्षी के पद पर दिनांक–02.09.2006 को गृह विभाग में हुयी थी। याची पर यह आरोप है कि वर्ष–2017–18 में जब यह 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0 आगरा की परिवहन शाखा में नियुक्त था, तब अपने नाम आवंटित वाहन संख्या–यू0पी0–83जी–0243 टाटा ट्रक

के साथ हाउस गार्द लखनऊ में कर्तव्यरत् रहने के दौरान पुलिस लाइन लखनऊ से डीजल चोरी की नीयत से 834 लीटर डीजल प्राप्त करने, कार डायरी में स्वयं के हस्तलेख में फर्जी रन अंकित करने एवं स्वयं फर्जी हस्ताक्षर बनाकर चोरी की गयी, जिस कारण विभाग को धनराशि रू0 60.54/प्रति लीटर (तत्कालीन औसत दर नवम्बर, 2017 से जनवरी, 2018) से कुल धनराशि रू0 50,495.00 की हानि हुई। उक्त के संबंध में याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक–23.12.2019 (संलग्नक–3) सेनानायक, 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0, आगरा द्वारा निर्गत् की गयी और उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। उसने अपना दिनांकरहित स्पष्टीकरण सेनानायक, 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0, आगरा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपनी निर्दोषिता के संबंध में विस्तृत रूप से उल्लेख किया। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये ही सेनानायक, 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0, आगरा ने अपने आदेश दिनांक–30.12.2019 (संलग्नक–1) द्वारा उसके वेतन से रू0 50,495.00 की कटौती कर राजकीय कोष में जमा करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध उसके द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक पी0ए0सी0, आगरा अनुभाग, आगरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो अपीलीय आदेश दिनांक–13.05.2020 (संलग्नक–2) द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों पर बिना विचार किये ही निरस्त कर दी गयी। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

3. प्रतिपक्षीगण की ओर से प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया कि वर्ष–2017–18 में जब याची 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0 आगरा की परिवहन शाखा में नियुक्त था, तब अपने नाम आवंटित वाहन संख्या–यू0पी0–83जी–0243 टाटा ट्रक के साथ हाउस गार्द लखनऊ में कर्तव्यरत् रहने के दौरान पुलिस लाइन लखनऊ से डीजल चोरी की नीयत से 834 लीटर डीजल प्राप्त करने, कार डायरी में स्वयं के हस्तलेख में फर्जी रन अंकित करने एवं स्वयं फर्जी हस्ताक्षर बनाकर चोरी की गयी, जिस कारण विभाग को धनराशि रू0 60.54/प्रति लीटर (तत्कालीन औसत दर नवम्बर, 2017 से जनवरी, 2018) से कुल धनराशि रू0 50,495.00 की हानि हुई। उक्त के संबंध में याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक–23.12.2019 (संलग्नक–3) सेनानायक, 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0, आगरा द्वारा निर्गत् की गयी और उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। उसने अपना स्पष्टीकरण दिनांकरहित सेनानायक, 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0, आगरा के समक्ष प्रस्तुत किया। याची के स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त आदेश दिनांक–30.12.2019 पारित किया गया, जो विधिक एवं नियमानुसार है। याची द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत

की गयी उसमें भी उठाये गये बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त अपीलीय आदेश दिनांक–13.05.2020 द्वारा अपील निरस्त कर दी गयी, जो विधिक एवं नियमानुसार है। अतः इन आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अन्त में यह भी कहा गया कि याची द्वारा निराधार एवं बलहीन तथ्यों पर यह याचिका योजित की गयी है जो सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तरशपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी।

5. मैंने याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री जनार्दन पाण्डेय तथा प्रतिपक्षीगण की ओर से विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया।

6. याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याची द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये प्रतिपक्षीगण द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत् नहीं है। जबकि प्रतिपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया कि याची को दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस निर्गत् की गयी जिसका स्पष्टीकरण याची द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त सकारण एवं मुखरित आदेश पारित किया गया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है।

7. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची पर लगाये गये आरोप के संबंध में याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक–23.12.2019 (संलग्नक–3) सेनानायक, 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0, आगरा द्वारा निर्गत् की गयी थी और उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया था। याची ने अपना दिनांकरहित स्पष्टीकरण (संलग्नक–4) सेनानायक, 15वीं वाहिनी पी0ए0सी0, आगरा के समक्ष प्रस्तुत किया, अपने स्पष्टीकरण के पैरा–4 में याचिकाकर्ता द्वारा डीजल की चोरी में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता को भी प्रदर्शित किया गया है किन्तु उसके ऊपर यह स्पष्ट आरोप है कि उसने कार डायरी में स्वयं के हस्तलेख में फर्जी रन अंकित कर स्वयं फर्जी हस्ताक्षर बनाकर डीजल की चोरी की थी, इस आरोप का अपने स्पष्टीकरण में याचिकाकर्ता द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है वरन् अपने स्पष्टीकरण के पैरा–5 में याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि **''परन्तु यदि किन्हीं कारणों से मान्यवर याची को दण्डित करना आवश्यक व अपरिहार्य समझते हैं तो याची के विरूद्ध सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र रोकने व वसूली की नोटिस वापस लेने की कृपा**

करें। याची की 02 वेनिवृद्धियों के रोकने से राजकीय कोष में जो बचत होगी, वही डीजल के एवज में क्षतिपूर्ति मानकर इस दण्ड के प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।'' याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में किये गये उक्त कथन से स्पष्ट है कि याची ने अपने ऊपर लगाये आरोप को स्वयं स्वीकार कर लिया है।

8. इसके अतिरिक्त आदेश दिनांक–30.12.2019 (संलग्नक–1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि दण्डाधिकारी ने याची के स्पष्टीकरण पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए यह आदेश पारित किया है, अतः इसमें कोई भी प्रक्रियात्मक त्रुटि अथवा अनियमितता परिलक्षित न होने के कारण इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

9. इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलीय आदेश पारित करते समय याची की अपील में वर्णित समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए अपीलीय आदेश दिनांक–13.05.2020 (संलग्नक–2) पारित किया है, जिसमें भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि याची के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक–30.12.2019 (संलग्नक–1) तथा अपीलीय आदेश दिनांक–13.05.2020 (संलग्नक–2) सकारण, मुखरित एवं विधि–सम्मत् हैं, अतः इन आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह निर्देश याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्देश याचिका खारिज की जाती है। उभय पक्ष अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

रा0कु0श्री0/नि0स0
दिनांक–22.04.2025